कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग करौली

ई–मेल आई.डी. ddicdskrl@gmail.com

क्रमांकः– पीएमएमवीवाई / 2021–22 / 4926 दिनांक :– 14.03.2022

एस.आर. प्रारूप–14

सीमित बोली आमन्त्रण सूचना संख्या 02 / 2021–22

{राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 का नियम–43(01) व(2)}

(NIB No. -------------------------------)

श्रीमान अति0 निदेशक (आई) / राज्य प्रभारी अधिकारी(पीएमएमवीवाई)समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के पत्रांक 18665–97 दिनांक 08.02.2022 के क्रम में उपनिदेशक कार्यालय करौली के उपयोग हेतु कम्प्यूटर, यूपीएस व एमएफपी प्रिंटर संलग्न स्पेशिफिकेशन के अनुसार आईटम का उपापन निम्नवत विगत की विषयवस्तु / सामान / मेटेरियल राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16(2) के अन्तर्गत सीमित बोली प्रक्रिया से क्रय करने हेतु विनिर्माताओं, प्राधिकृत वितरक एवं विक्रेता / प्राधिकृत स्टोकिस्ट / प्राधिकृत व्यवहारी / प्राधिकृत सेवा केन्द्र तथा सद्भावी व्यवहारियों तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत सूक्ष्म / लघू, मध्यम यूनिटो से SPPP पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा दिनांक 14.03.2022 समय दोपहर 02.00 बजे से दिनांक 21.03.2022 दोपहर 02.00 बजे तक मोहरबन्द बोलियों RTPP Act 2012 एवं RTPP नियम 2013 में निहित प्रावधान एवं GF&AR Part-II के एस.आर.प्ररूप–16 की यथा उपान्तरित शर्तो के अधीन आमन्त्रित की जाती है एवं प्राप्त बोलियां दिनांक 21.03.2022 को समय 04.00 बजे कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग करौली में उपापन समिति की उपस्थिति में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का विवरण मय स्पेशिफिकेशन	अनुमान मात्रा	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि (2प्रतिशत)	बोली दस्तावेज शुल्क	आपूर्त अवधि	बोली विक्रय अवधि	बोली प्राप्ति दिनांक / समयावधि	प्राप्त बोलियां खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	All in one computer	3	155000 /–	3700	200	7 दिन	पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा दिनांक 14.03.22 से 21.03.22	दिनांक 14.03.22 से 21.03.22 दोपहर 02.00 बजे तक	21.03.22 सांय 04.00 बजे
2	UPS	2							
3	MF Printer	1	30000 /–						
	Total	6	185000 /–	3700	200				

आवश्यक शर्तें :–

1. बोली प्रतिभूति का बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग करौली के नाम से / पक्ष में देय होगा।
2. बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार क्रय उपापन समिति का रहेगा।
3. बोली से संबंधित विस्तृत शर्ते एवं विनिर्देश कार्य दिवसों में क्रेता के कार्यालय में तथा राज्य लोक उपापन पोर्टल http:wwwsppp.rajasthan.gov.in (UBN no. ---------------------------------) पर एवं विभागीय वैबसाइट http:wwwwcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
4. बोली का विक्रय गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो को रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध करवाने पर ही किया जायेगा तथा सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।

5. बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि को सार्वजनिक/ राजपत्रित अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस को प्राप्त की जा सकेगी इसी प्रकार बोली खोलने की तिथि पर अवकाश घोषित हो जाने पर बोलियां अगले कार्यदिवस को तय समय पर खोली जायेगी।

अन्य शर्तें :–

1. बोली विहित बोली प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी जिसे इस कार्यालय से नकद/बैंकर्स चैक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि रूपये 200/– भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। RTPP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर इसकी कीमत का संधाय भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकेगा इस राशि का नहीं किया जायेगा जो बोलियां वैध प्रारूप मे प्रस्तुत नहीं की जायेगी वह नामंजूर करने योग्य होंगी।

2. बोलियां मोहरबन्द लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग करौली के उपयोग हेतु कम्प्यूटर, यूपीएस व एमएफपी प्रिन्टर का क्रय लिखा होगा जो तय दिनांक व समय तक पहूंच जानी चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित बोली के विलम्ब के लिए बोलीदाता फर्म ही उत्तरदायी रहेगा।

3. जो भी बोलियां विहित समय व तारीक के बाद प्राप्त होंगी उन्हे रद्द कर दिया जायेगा।

4. सामान/ सामग्री को उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग करौली तक पहूंचाने का भाडा/ परिवहन व्यय इत्यादि अलग से देय नही होगा। दरें FOR उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग करौली होंगी।

5. माल की आपूर्ति अनुमोदित स्पेशिफिकेशन के अनुसार करनी होगी अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

6. उद्धृत दर में जीएसटी व अन्य सभी प्रभार/शुल्क सम्मिलित होंगे/अलग से देय नहीं होंगे।

7. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। स्पेसिफिकेशन के अनुरूप आपूर्ति का प्रभारी अधिकारी स्टोर के सत्यापन के बाद ही ईसीएस/नेफ्ट की पद्धति से भुगता बजट उपलब्धता के अध्यधीन फर्म के बैक खाते में अन्तरित किया जायेगा।

8. निविदत दरें बोली खोलने की तिथि से 90 दिन तक वैध रहेगी। उक्त अनुबन्ध सिर्फ 31.03.2022 तक के लिए होगा।

9. बोली शर्तों के किसी भी प्रकार के संदेह अथवा मंशा के संबंध में बोली खरीदने/ डालने से पूर्व कार्यालय में उपापन समिति से स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।

10. सभी विवादो का न्याय मुख्यालय करौली ही होगा।

(हिम्मत सिंह RAS)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
करौली

क्रमांक/2021–22/ 4927–29

दिनांक :– 14 .03.2022

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान अति0 निदेशक (आई) एवं राज्य प्रभारी अधिकारी (पीएमएमवीवाई) समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर।
2. एसीपी समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. नोटिस बोर्ड कलक्ट्रेट/कोष कार्यालय/ कार्यालय हाजा।

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
करौली